भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1346
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

**न्यायाधीशों के रिक्त पद**

**1346. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :**
**श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :**
**श्री प्रतापराव जाधव :**
**श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :**
**श्री सुधीर गुप्ता :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों और न्यायाधीशों की वास्तविक संख्या कितनी है ;
(ख) क्या विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च न्यायालयों और विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों में से 21 प्रतिशत पद रिक्त हैं जिसके कारण न्यायालयों में मामले लंबित हो रहे हैं ;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और काफी समय से पद रिक्त रहने के क्या कारण हैं ;
(घ) क्या न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी के कारण कई मामलों में नागरिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है ; और
(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और**
**संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ङ) :** उच्चतम न्यायालय, 34 न्यायाधीशों की पूर्ण पदसंख्या के साथ कार्य कर रहा है । जहां तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, 1114 न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या के लिए, 783 न्यायाधीश कार्यरत है और तारीख 01.02.2024 तक, विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 331 पद रिक्त हैं । जहां तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का संबंध है, इस विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तारीख 01.02.2024 को 25,348 न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पदसंख्या के लिए, 5,334 रिक्तियां और 20,014 न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं ।

हाल ही में, न्याय विभाग द्वारा रिक्तियों से संबंधित कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई है । तथापि, विभाग नियमित रूप से अपनी शासकीय वेबसाइट पर न्यायिक पद संख्या के संबंध में डाटा प्रकाशित करता है ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 234 के अधीन तथा उच्चतम न्यायालय के 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय (दूसरा न्यायाधीशों का मामला) के साथ पठित 28 अक्तूबर, 1998 की उनकी सलाहकारी राय (तीसरा न्यायाधीशों का मामला) के अनुसरण में वर्ष 1998 में तैयार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं ।

संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति एक सतत्, एकीकृत तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक समन्वयकारी प्रक्रिया है । इसमें केन्द्रीय और राज्य, दोनों स्तर पर, विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है । कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समन्वयकारी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप वर्ष 2022 के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों में 165 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और वर्ष 2023 के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों में 110 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं तथा 34 न्यायाधीशों का विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थानान्तरण किया गया है ।

संवैधानिक कार्यढांचे के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, भर्ती, आदि के मुद्दों से संबंधित नियम और विनियम बनाती है । इस प्रकार, जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है । जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है, कतिपय राज्यों में संबंधित उच्च न्यायालय, ऐसा करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में इसे उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से करते हैं । अत:, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने में केन्द्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है ।

न्यायालयों में मामलों का लंबित होना और इसके कारण नागरिकों द्वारा कष्ट झेलने को, केवल मात्र न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है । न्यायालयों में मामलों का लंबन विभिन्न घटकों के कारण हो सकता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पर्याप्त भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, मामले में अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों, जैसे बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षी और वादकारी आदि, भी सम्मिलित हैं, का सहयोग, तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित उपयोजन भी हैं । अन्य घटकों, जिनके कारण मामलों के निपटान में विलंब होता है, के अंतर्गत संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा विहित न होना, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों को मानीटर, ट्रैक और इकठ्ठा करने की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव भी सम्मिलित हैं । तथापि, न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका की अधिकारिता के भीतर आता है । न्यायालयों में मामलों के निपटान में सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं है ।

*********